पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
CIN :- U40101UR2004SGC028675
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002
E-mail:- hr@ptcul.org
दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 वैबसाइट www.ptcul.org

पत्रांकः 1435/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ईएस–6 दिनांकः 10.08.2026

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा कारपोरेशन कार्यहित में अधोनामित तकनीशियन ग्रेड–प्रथम/द्वितीय (विद्युत) को विभागीय पदोन्नति हेतु निर्धारित 40% कोटे के अन्तर्गत **नॉन आई0टी0आई0** योग्यताधारियों के लिए निर्धारित 5.66 प्रतिशत कोटे के तहत अवर अभियन्ता (वि0एवंया0) (वेतनमान 44900–142400, लेवल–8) के पद पर चयनित/पदोन्नत किया जाता है तथा उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–8 में वर्णित नव तैनाती स्थान पर अवर अभियन्ता (वि0एवंया0) का कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित किया जाता हैः–

क्र0 सं0	शैक्षिक योग्यता एवं सेवावधि के अंकों तथा साक्षात्कार के अंकों के आधार पर श्रेष्ठता क्र0सं0	अनु क्रमांक	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	वर्तमान तैनाती स्थान	नव तैनाती स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1	**118**	श्री पूरन चन्द्र जोशी, टी0जी0–द्वितीय (वि0)	स्व0 श्री शंकर दत्त जोशी	11.06.77	132 के0वी0 उपकेन्द्र, काठगोदाम	132 के0वी0 जी0आई0एस0 उपकेन्द्र, धौलाखेड़ा
2	2	**139**	श्री महेन्द्र पाण्डे, टी0जी0–द्वितीय (वि0)	श्री मथुरा दत्त	05.07.79	400 के0वी0 परि0एवंअनु0 खण्ड, काशीपुर	132 के0वी0 उपकेन्द्र, काशीपुर
3	3	**112**	श्री भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, टी0जी0–द्वितीय(वि0)	श्री चतुर सिंह	13.10.83	220 के0वी0 उपकेन्द्र, हल्द्वानी	220 के0वी0 उपकेन्द्र, जाफरपुर
4	4	**115**	श्री महेन्द्र सिंह नेगी, टी0जी0–द्वितीय(वि0)	स्व0 श्री जगत सिंह नेगी	08.08.86	220 के0वी0 उपकेन्द्र, हल्द्वानी	132 के0वी0 उपकेन्द्र, बाजपुर
5	5	**110**	श्री नीरज कुमार शर्मा, टी0जी0–द्वितीय(वि0)	श्री महेश चन्द्र शर्मा	13.02.87	132 के0वी0 उपकेन्द्र, भवाली	132 के0वी0 उपकेन्द्र, रामनगर
6	6	**145**	श्री पूर्णानन्द भट्ट, टी0जी0–द्वितीय(वि0)	श्री एन0डी0 भट्ट	02.01.79	परी0 एवं परि0खण्ड, हल्द्वानी	132 के0वी0 जी0आई0एस0 उपकेन्द्र, धौलाखेड़ा

उपर्युक्त पदोन्नति के आदेश निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जा रहे है किः–

1. उपरोक्त पदधारकों की प्रश्नगत पद पर की गयी पदोन्नति पूर्णतः अस्थायी है तथा सम्बन्धित कार्मिक को बिना कोई कारण बताये अथवा किसी पूर्व सूचना/नोटिस के कभी भी उनके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित/पदावनत किया जा सकता है।

क्रमशः.................2

2. पदोन्नत पदधारियों पर अवर अभियन्ता की "The Uttar Paradesh State Electricity Board Subordinate Electrical and Mechanical Engineering Service Regulation, 1972" (यथासंशोधित) सेवाविनियमावली के प्राविधान प्रवृत होंगे।
3. यदि उपरोक्त पदधारियों के विरूद्ध जांच या अनुशासनिक कार्यवाही चल रही हो तो उनके पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।
4. यह आदेश निर्गमन के दिनांक अथवा उपर्युक्तानुसार कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक, दोनों में से जो भी बाद में हो, से प्रभावी होगा।
5. सम्बन्धित पदोन्नत कार्मिक **दिनांक 25.08.2026 तक** पदोन्नत पद पर अपना कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा उनके पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।
6. सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी पदोन्नत कार्मिक के द्वारा प्रोन्नत पद पर कार्यग्रहण की सूचना से **दिनांक 26.08.2026 तक** इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
7. अवर अभियन्ता (वि0एवंया0) पद पर कार्यभार ग्रहण करने के समय सम्बन्धित कार्मिक निम्नलिखित घोषणा–पत्र संलग्न प्रारूपों पर तीन प्रतियों में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को प्रस्तुत करेंगे, अधिशासी अभियन्ता का दायित्व होगा कि इनमें से दो प्रतियों को क्रमशः सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता एवं मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग, पिटकुल को प्रत्येक पृष्ठ को प्रतिहस्ताक्षरित कर अग्रसारित करना सुनिश्चित करेंगे।

   घोषणा पत्रः–

   (1) शादीशुदा होने की स्थिति में एक ही पत्नी के साथ जीवन–यापन करने की घोषणा।**(घोषणा पत्र– क)**
   (2) कारपोरेशन में कार्यरत किसी व्यक्ति का आपके सम्बन्धी होने के सम्बन्ध में। **(घोषणा पत्र– ख)**
   (3) आपके ऋणमुक्त होने के सम्बन्ध में। **(घोषणा पत्र– ग)**
   (4) समस्त चल/अचल सम्पत्ति आप द्वारा अथवा आप पर निर्भर आपके परिवार के सदस्य द्वारा स्वामित्व अथवा अधिग्रहित गृह सम्पत्ति को सम्मिलित करने हुए। इस प्रकार का सम्पत्ति का पूर्ण एवं सही विवरण परिशिष्ट "क" में निर्धारित प्रपत्र पर दिया जाय। **(घोषणा पत्र– घ)**
   (5) कारपोरेशन के प्रति निष्ठा एवं विश्वसनीय सेवा से समबन्धी वचन पत्र में निर्धारित प्रपत्र पर। **(घोषणा पत्र– ड.)**
   (6) राजनैतिक दलों से सम्बद्धता/सम्बन्धता सम्बन्धी घोषणा पत्र में निर्धारित प्रपत्र पर। **(घोषणा पत्र– च)**
   (7) परिवार के सदस्यों/आश्रितों की सूची परिशिष्ट "च" में निर्धारित प्रपत्र पर। **(घोषणा पत्र– ज)**
8. उपर्युक्त पदधारक की पारस्परिक ज्येष्ठता उनके पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त उनकी टी0जी0–प्रथम/द्वितीय (वि0/ला0) के पदों पर की गयी कुल सेवा अवधि के कुल अंको तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंको को जोड़कर तैयार की गयी संयुक्त श्रेष्ठता सूची की श्रेष्ठता क्रम में कारपोरेशन में प्रवृत्त उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता नियमावली–1998 के प्राविधानों के अन्तर्गत अलग से निर्धारित कर निर्गत की जायेगी।
9. यदि उपरोक्त कार्मिक द्वारा कारपोरेशन के आवास/सम्पत्ति पर अनाधिकृत अध्यासन बनाया हो तो पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।

क्रमशः................3

मुख्यालय एवं पंजीकृत कार्यालयः– विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून – 248002
दूरभाष नं0 0135–2646000 फैक्स नं0 0135–2643460

10. पदोन्नत कार्मिक कारपोरेशन आदेश संख्या 1178/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांक 15.07.2024 के द्वारा निर्गत सुनिश्चित वित्तीय स्तरोन्नयन (ए0सी0पी0) हेतु विकल्प का चयन करना सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त पदोन्नति आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किये जा रहे हैं।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांकः 1435/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ईएस–6 तद्दिनांकितः
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव–प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, पिटकुल.................................. ।
3. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, पिटकुल....................................... ।
4. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस आदेश को कारपोरेशन की बैवसाइट पर प्रदर्शित करें।
5. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल.. ।
6. सम्बन्धित कार्मिक/कट फाईल।

(विवेकानन्द)
उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0)